नलकूप खण्ड आजमगढ़

सूचना का अधिकार नियम का समय बद्ध रूप से क्रियान्वयन के संबंध में 16 बिन्दुओं पर आख्या

क्रमांक	बिन्दु	उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टयों कृत्य और कर्तब्य	नलकूप खण्ड आजमगढ़ नलकूप संगठन के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता–नलकूप, सिंचाई विभाग, वाराणसी, उ0प्र0 एवं अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल आजमगढ़ के नियत्रंणाधीन है, जो कि सिंचाई विभाग उ0 प्र0 का प्राचीनतम खण्ड है। इस खण्ड के अन्तर्गत 392 चलित राजकीय नलकूप है जिससे जनपद के कृषिगत भूमि की सिंचाई किसानों द्वारा की जाती है। चौधरी चरण सिंह योजना में सिंविल कार्य पूर्ण कर उर्जीकृत कराकर असिंचित क्षेत्र की सिंचाई उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। मोटर पम्प की मरम्मत हेतु प्रथम उपखण्ड के नियत्रांणाधीन एक कार्यशाला है। शेष तीन उपखण्डों द्वारा नलकूपों का रख रखाव एवं सिंचाई का कार्य किया जाता है। समस्त उपखण्डों का मुख्यालय आजमगढ़ है। इस खण्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान शासन द्वारा उपलब्ध बजट से होता है तथा बजट के सापेक्ष वेतन आहरण कोषागार से किया जाता है।
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तब्य	
	1.अधिशासी अभियन्ता	खण्ड के अन्तर्गत उपखण्डों के समस्त कार्यो का नियत्रंण
	2.सहायक अभियन्ता	उपखण्ड के अन्तर्गत आवंटित कार्यो का सम्पादन मुख्यतः सींच संबन्धित कार्यो का संपादन
	3.उपराजस्व अधिकारी	
	4.खण्डीय लेखाधिकारी	वित्तीय पुस्तिका के खण्ड 6 के पैरा 98 में निहित लेखाओं का संग्रह करना तथा बाउचर्स से इत्यादि की जॉच का वित्तीय सलाहाकार के रूप में कार्यो का सम्पादन।
	5.अवर अभियन्ता	कार्यस्थल पर कार्यो को मानको एवं गुणवत्ता के साथ कराना।
	6.अनुसचिवीय अधिष्ठान	कार्यालय के पत्रावलियों का सम्पादन एवं अभिलेखों का रख रखाव
	7.राजस्व अधिष्ठान	राजस्व सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन।
	8.ड्राइंग स्टाफ	ड्राइंग संम्बंधी कार्यो का सत्यापन।
	9.चतुर्थ श्रेणी	अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	उपखड में कराये गये कार्यो का निरीक्षण तथा कार्यो की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना/कराना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	खण्ड के अन्तर्गत चलित नलकूपों द्वारा कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना एवं कृषकों की समस्यों का समाधान करना, उपखंडीय अधिकारियों को कृषकों की समस्याओं का निराकरण कर निर्देशित करना।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिएप्रयोग कियें गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में उ0प्र0 राज्य सरकार कर्मचारियों आचरण सेवा नियमावली लागू है। कार्यो के सम्पादन के लिए विभाग का मैनुअल है। वित्तिय हस्तपुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता यांत्रिक/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी शासनादेशों /आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखंडीय अधिकारियों को निर्देशित/सुनिश्चित करना। कार्यो का संपादन सिंचाई विभाग की लागू निर्णय/नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यो, संबंधित अभिलेखों का रख रखाव नियमों के अनुसार किया जाना। अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं को तदनुसार निर्देशित करना।

क्रमशः पेज 2 पर

6	ऐसे दस्तावेजो के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्राणाधीन है प्रवर्गो का विवरण	अभिलेखों का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मैनुअल में निहित प्राविधान एवं वित्तिय हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत किया जाना।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टिया जो उसके नीति के सूचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विधमान है।	खण्ड के अन्तर्गत प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को आजमगढ़ में सिंचाई बन्धु समिति की बैठक आमंत्रित की जाती है, जिसके अन्तर्गत उठाई गयी कृषकों की समस्याओं पर उनसे विचारोपरान्त समाधान किया जाता है।
8	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति है उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठको की कार्यवृत्ति की जनता की पहुॅच होंगी।	जनपद स्तर पर गठित समितियों से सम्बन्धित अधिक सलाह लिया जाता है।
9	अपने अधिकारियों /कर्मचारियों की निर्देशिका	कार्यालय दूरभाष–05462–243245, 9454415290 न0 ख0 आ0 अवासीय दूरभाष–05462–243155, न0ख0आ0 कार्यालय दूरभाष–9454415289, प्रथम उपखण्ड न0ख0आ0
10	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमे उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली समलित है।	उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के आधार पर है।

पद	वेतनमान	पद	वेतनमान
अधिशासी अभि0	15600–39100	नलकूप चालक	5200–20200
सहायक अभि0	15600–39100	मेठ, बढ़ई	4440–7440
उपराजस्व अधि0	9300–34800	विद्युतकार	4440–7440
अवर अभियन्ता	9300–34800	टर्नर, रनर,	4440–7440
लेखाधिकारी	9300–34800	चपरासी,	4440–7440
मुख्य लिपिक	5200–20200	क्लीनर,	4440–7440
वरिष्ठ सहायक	5200–20200	चौकीदार,	4440–7440
आशुलिपिक	5200–20200	माली,	4440–7440
प्रारूपकार	5200–20200	वर्कन्दाज,	4440–7440
वरिष्ठ लिपिक	5200–20200	स्वीपर,	4440–7440
कनिष्ठ लिपिक	5200–20200	डाक नवीश	4440–7440
सर्वेयर	5200–20200	हेल्पर	4440–7440
चालक	5200–20200	ड्रीलर	4440–7440
जिलेदार	5200–20200	सर्वेयर	4440–7440
सेक्शन मिस्त्री	5200–20200	सहायक सर्वेयर	4440–7440
सींचपर्यवेक्षक	5200–20200	बेल्डर	4440–7440
हेडमुंशी	5200–20200	बेलदार	4440–7440
मुंशी	5200–20200	पानीवाला	4440–7440
पम्प आपेटर	5200–20200	मैकेनिक	4440–7440

क्रमशः पेज 3 पर

11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविवरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टिया उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभीकरण को आवंटित बजट	अनुदान सं0 95 के अन्तर्गत वेतन, मंहगाई भत्ता यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत, दूरभाष, गाडियों आदि मदों में प्रमुख अभ्यिन्ता के कार्यालय से वित्त नियंत्रक द्वारा बजट आवंटित होता है। नलकूपों के मरम्मत के लिए अनुदान सं0 96 के अन्तर्गत बजट आवंटित होता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदों ग्राहयों के व्योरे सम्मिलित है।	इस तरह से काई व्यवस्था विभाग में नहीं है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती, अनुज्ञा–पत्रों, या प्राधीकारी के प्राप्त कर्ताओं की विशिष्टिया।	–तदैव–
14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में व्योरे जो उसमे उपलब्ध हो या उसके धारित हो	विभाग में कम्प्यूटर एवं फैक्स उपलब्ध है। इण्टरनेट चालू स्थिति में नहीं है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण धण्टे सम्मिलित है।	भारत का कोई भी नागरिक वांछित सूचना कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस खण्ड हेतु जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियन्ता–नलकूप वाराणसी के अधीनस्थ नामित है निम्नवत हैः 1– श्री बद्री राम — अधिशासी अभियन्ता, अपीलीय अधिकारी, नलकूप खण्ड आजमगढ़ 2– श्री संजय कुमार त्रिवेदी — सहायक अभियन्ता प्रथम, नलकूप खण्ड आजमगढ़, जनसूचना अधिकारी 3– श्री मु0 हुजैफ — अवर अभियन्ता, प्रथम उपखण्ड, नलकूप खण्ड आजमगढ़, सहायक जन सूचना अधिकारी